राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(9)गृह–1/2018 (07793)   जयपुर, दिनांक :

<u>आदेश</u>

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2022–23 की दिनांक 25.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री अनिल जसोरिया/नरेन्द्र कुमार (सामान्य) के विरूद्व पुलिस आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 15.06.2017 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड प्रभावी था, परन्तु श्री जसोरिया द्वारा मा0 न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका सं. 7760/2022 में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.05.2022 की पालना स्वरूप श्री अनिल जसोरिया की पदोन्नति पर प्रोविजनल विचार करते हुए पदोन्नति की अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7760/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2023 के द्वारा श्री अनिल जसोरिया के बन्द लिफाफे को खोलकर कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति के निर्देश दिये है, जिसके विरूद्व स्थाई समिति द्वारा दिनांक 26.04.2024 को डी.बी. स्पेशल अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2022–23 की दिनांक 25.11.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री अनिल जसोरिया/नरेन्द्र कुमार की पदोन्नति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

अतः अवमानना याचिका संख्या 129/2024 के मद्देनजर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7760/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2023 एवं उक्त निर्णय के विरूद्व स्थाई समिति द्वारा दिनांक 26.04.2024 को डी.बी. स्पेशल अपील दायर नही करने के निर्णय की पालना में श्री अनिल जसोरिया/नरेन्द्र कुमार (सामान्य) को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.08.2022 की रिक्ति के प्रति एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री अनिल जसोरिया/नरेन्द्र कुमार की वरिष्ठता श्री अभय कुमार बग्रेट/श्याम सुन्दर, (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री अनिल जसोरिया/नरेन्द्र कुमार, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

लोक सभा निर्वाचन–2024 के संबंध में जारी आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर श्री अनिल जसोरिया अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashmi Kaur Raan
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.04.29 19:24:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 6848278

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

D:/JHALA 2022/ACP/Latter